

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



पत्र सं०- 181/एल०ए०सी०/ एच०व्यू०/

दिनांक : 01-05-2025

नोटिस

(उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965

(उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन नोटिस)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने मेरठ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु मेरठ-हापुड़ बाईपास व बिजली बम्बा बाईपास रोड, मेरठ के मध्य ग्राम नरहाड़ा, ढिकौली, सलेमपुर, जाहिदपुर, जुरनपुर, बाजोट, चन्दसारा, गगोल, ततीनासानी, शाकरपुर, अल्लीपुर, जिजमाना एवं रुकनुदीनमिश्री फफूंडा ग्रामों की कृषक भूमि को सम्मिलित करते हुये नई मेरठ-हापुड़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बनाई है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् हैं:-

उत्तर :- बिजली बम्बा बाईपास रोड- ग्राम-जुरनपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-157, 150, 108, 93 भाग, 94 भाग, 95 भाग। ग्राम-बाजोट परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-385, 418, 405, ग्राम-जाहिदपुर परगना व तहसील व जिला- मेरठ रोड का भाग खसरा-151

दक्षिण :- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे- ग्राम- सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-361 भाग, 360 भाग, 372 भाग, 374 भाग, 380 भाग, 402 भाग, 403 भाग, 420 भाग, 430 भाग, 429 भाग, 470 भाग, 468 भाग, 469 भाग, 467 भाग, 463 भाग, 387 भाग, 364 भाग, 363 भाग, ग्राम-चन्दसारा परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा- 357 भाग, 358 भाग, 360 भाग, 362 भाग, 377 भाग, 355 भाग, 376 भाग, 378 भाग, 354 भाग, 379 भाग, 380 भाग, 349 भाग, 348 भाग, 347 भाग, 400 भाग, 402 भाग।

पूरब :- मेरठ-हापुड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-334 व दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे- ग्राम-जाहिदपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा- 296, 295, 267, ग्राम- शाकरपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-11 भाग, 13 भाग, 14 भाग, 18 भाग, 30 भाग, 29 भाग, 28 भाग, 27 भाग, 26 भाग, 64 भाग, 66 भाग, 71 भाग, 84, 60 भाग, 61 भाग। ग्राम-नरहाड़ा परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-193 भाग, 194 भाग, 192 भाग, 201 भाग, 202 भाग, 195 भाग, 217 भाग, 218 भाग, 176 भाग, 170 भाग, 204 भाग, 179 भाग, 213 भाग, 212 भाग, 214 भाग, 215 भाग, 216 भाग, 177 भाग, 174 भाग, 172 भाग, 171 भाग, 164 भाग, 163 भाग, 169 भाग, 162 भाग, 161 भाग, 81 भाग, 82 भाग, 41 भाग, 40 भाग, 30 भाग, 151 भाग, 28 भाग, 27 भाग, 18 भाग, 17 भाग, 14 भाग, 16 भाग, 49 भाग, 50 भाग। ग्राम-ढिकौली परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-306 भाग, 305 भाग, 299 भाग, 205 भाग, 206 भाग, 208 भाग, 209 भाग, 210 भाग, 211 भाग, 212 भाग, 218 भाग, 200 भाग, 182 भाग, 181 भाग, 174 भाग, 175 भाग, 171 भाग, 172 भाग, 173 भाग, 158 भाग, 159 भाग, 163 भाग, 161 भाग, 153 भाग, 154 भाग, 160 भाग। ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ रोड का भाग खसरा-29 भाग, 25 भाग।

पश्चिम :-मेरठ-हापुड़ रेलवे लाईन-ग्राम-चन्दसारा परगना व तहसील व जिला-मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा-319, 401, ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा-152, ग्राम-नरहाड़ा परगना व तहसील व जिला-मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा-574, 586, 614, ग्राम गगोल परगना व तहसील व जिला मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा- 1052, 1058, ग्राम-ततीना सानी परगना व तहसील व जिला-मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा- 30, 104, 106, ग्राम-जुरनपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा-90

योजना हेतु प्रस्तावित नाले हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले खसरे :-

उत्तर :- ग्राम-अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-669 भाग (रोड), 670 भाग, 676 भाग, 677 भाग, 678 भाग, 681 भाग, 682 भाग, 683 भाग, 740 भाग (चकरोड), 743 भाग (चकरोड), 744 भाग, 745 भाग, 746 भाग, 747 भाग, 748 भाग, 786 भाग, 785 भाग, 784 भाग, 783 भाग, 782 भाग, 770 भाग (चकरोड), 771 भाग (चकरोड), 769 भाग, 768 भाग, 767 भाग। ग्राम-रुकनुदीनमिश्री फफूंडा परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-19 भाग, 20 भाग, 48 भाग, 49 भाग, 46 भाग, 47 भाग, 42 भाग, 43 भाग, 44 भाग, 38 भाग, 24 भाग, 36 भाग, 25 भाग, 29 भाग, 27 भाग, 26 भाग, 52 भाग (रोड), 53 भाग (रोड), 54 भाग (रोड), 90 भाग, 91 भाग, 92 भाग, 89 भाग, 86 भाग, 93 भाग (चकरोड), 94 भाग (चकरोड), 95 भाग, 110 भाग, 111 भाग, 109 भाग (रोड), ग्राम-चन्दसारा परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-26 भाग, 27 भाग

दक्षिण :- ग्राम-अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-787 (चकरोड), 806 (चकरोड), 805 (चकरोड), ग्राम-रुकनुदीनमिश्री फफूंडा परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा- 112 (चकरोड), 51 (चकरोड), ग्राम-चन्दसारा परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा- 362 भाग।

पूरब :- ग्राम-अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-458

पश्चिम :- ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-मेरठ खसरा-29

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, शास्त्रीनगर, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ०प्र० सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस योजना में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, शास्त्रीनगर, मेरठ में ली जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम व पता मोबाईल नं० सहित, आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा प्लॉट संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही सही अंकित होना चाहिये। योजना क्षेत्र स्थित निर्माण युक्त के भूस्वामियों अध्यासिनों को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 (उ०प्र० अधिनियम सं०-1, 1966) के अनुसार बैटरमेन्ट (असुधार शुल्क)/ विकास शुल्क परिषद को देय होगा।

(डा० बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803

📞 📧 📄 📑 UPHousingBoard 🌐 www.upavp.in 📧 info@upavp.com